न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

राजसात प्रार्थना पत्र संख्या 62/2015

राजस्थान सरकार जरिये श्री नीरज कुमार जैन प्रवर्तन अधिकारी, नसीराबाद ....प्रार्थी

बनाम

1—श्री जमील अहमद पुत्र श्री नूर मोहम्मद निवासी चुंगी नाके के पास, रामसर रोड, नसीराबाद। ....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित :—

1. श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 01.03..2017

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि गैस रिफलिंग की शिकायत पर दिनांक 30.08.2015 को प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी हमराह श्री अशोक कुमार मीणा, थाना प्रभारी, थाना नसीराबाद सिटी एवं जाप्ता के अप्रार्थी जमील अहमद पुत्र श्री नूर मोहम्मद के रामसर रोड नसीराबाद स्थित निवास पर स्थित गैराज में एच.पी. कम्पनी के पांच खाली एवं दो पूर्णतः भरे हुए 14.2 कि0ग्रा0 के घरेलु गैस सिलेण्डर एवं गैस भरने की एक रीफिलिंग मशीन (जिसमें पाईप भी लगी हुई थी) वरामद हुई। मौके पर अप्रार्थी द्वारा 50—100 रूपये लेकर लोंगो द्वारा लाये गये घरेलु गैस सिलेण्डरों से उनके वाहनों में अपनी रिफिलिंग मशीन से गैस भरना स्वीकार किया। मौके पर मौजूद दो भरे हुए घरेलु गैस सिलेण्डर वावत अप्रार्थी द्वारा कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया एवं ना ही इनसे सम्बन्धित कोई दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये। ऐसी स्थिति में घरेलु एल.पी.जी. सिलेण्डरों का दुरूपयोग एवं एल.पी.जी. गैस के अवैध भण्डारण सिद्ध होने पर प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा उक्त सात घरेलु गैस सिलेण्डर एवं गैस रिफिलिंग मशीन जब्त कर कब्जे राज ली गई। सातों गैस सिलेण्डरों मय रीफिलिंग मशीन, को सुपुर्दगीनामा से श्री मलका गैस सर्विस, नसीराबाद के मैनेजर श्री फिरोज खान को सुपुर्द किये गये। अप्रार्थी श्री जमील अहमद का यह कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस(प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(1)ए, बी, सी,डी,ई, 4(1) (ए), 6 7(1) (ए.) (वी), (सी) का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम—1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। आरोपी श्री जमील अहमद के विरूद्व आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत थाना नसीराबाद सिटी में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई है। उपरोक्त कब्जेराज ली गई सामग्री को राजसात करने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर नोटिस जारी किऐ गये। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। पर्याप्त समय दिये जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा कोई जवाब प्रार्थना पत्र कथनो के खण्डन में प्रस्तुत नहीं किया गया। उपस्थित पैरोकार सरकार ने बहस चाही। दौराने सुनवाई अप्रार्थी/अभिभाषक अप्रार्थी उपस्थित नहीं आये। उपस्थित पैरोकार सरकार को सुना गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि गैस रिफलिंग की शिकायत पर दिनांक 30.08.2015 को प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी हमराह, थाना प्रभारी, थाना नसीराबाद सिटी एवं जाप्ता के अप्रार्थी जमील अहमद पुत्र श्री नूर मोहम्मद के रामसर रोड नसीराबाद स्थित निवास पर पहूँच कर जांच करने पर गैराज में एच.पी.कम्पनी के पांच खाली एवं दो पूर्णतः भरे हुए घरेलु गैस सिलेण्डर एवं गैस भरने की एक रीफिलिंग मशीन (जिसमें पाईप भी लगी हुई थी) बरामद हुई। अप्रार्थी द्वारा लोंगो द्वारा लाये गये घरेलु गैस सिलेण्डरों से उनके वाहनों में रिफिलिंग मशीन से गैस भरना स्वीकार किया। ऐसी स्थिति में घरेलु एल.पी.जी. सिलेण्डरों का दुरूपयोग एवं एल.पी.जी. गैस के अवैध भण्डारण सिद्ध होने पर प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा उक्त सात घरेलु गैस सिलेण्डर एवं गैस रिफिलिंग मशीन जब्त कर कब्जे राज ली गई। सातों गैस सिलेण्डरों मय रीफिलिंग मशीन, को सुपुर्दगीनामा से श्री मलका गैस सर्विस, नसीराबाद के मैनेजर श्री फिरोज खान को सुपुर्द किये गये। अप्रार्थी श्री जमील अहमद का यह कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस(प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(1)ए, बी, सी,डी,ई, 4(1) (ए), 6 7(1) (ए,) (बी), (सी) का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। आरोपी श्री जमील अहमद के विरूद्व आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत थाना नसीराबाद सिटी में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई है। उपरोक्त कब्जेराज ली गई सामग्री को राजसात करने के आदेश प्रदान करावें।

हमने पैरोकार सरकार के कथनों पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। वरवक्त जांच मिले तथ्यों से अप्रार्थी द्वारा मौका स्थल पर गैस रीफिलिंग मशीन के जरिए, घरेलू गैस सिलेण्डरो से वाहनों में गैस भरने का कार्य किया जाना पाया गया। अप्रार्थी ने भी रिफलिंग मशीन उसकी स्वयं की होना एवं गैस रीफिलिंग किया जाना स्वीकार किया है। मौके पर एच.पी. कम्पनी के पॉच खाली एवं दो पूर्णतः भरे हुए घरेलू गैस सिलेण्डर पाये जाने से स्पष्ट है कि इनका उपयोग वाहनों में अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डरों से गैस रीफिलिंग हेतु किया जाता है। अप्रार्थी जमील अहमद के विरूद्व अवैध रूप से घरेलू गैस रिफलिंग का मामला थाना नसीराबाद सिटी में भी दर्ज करवाया गया है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को किसी जवाब, साक्ष्य, सबूत के खण्डित भी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी का उक्त कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस(प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(1)ए, बी, सी,डी,ई, 4(1) (ए), 6 7(1) (ए,) (बी), (सी) का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे राज लिये गये एच.पी. कम्पनी के सातों घरेलू गैस सिलेण्डर, मय रीफिलिंग मशीन, को राजसात किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 01.03.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर अजमेर

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर